प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2019 को सभी 12 नगर निगमों के नगर आयुक्तों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.08.2019 को राज्य के सभी 12 नगर निगमों के नगर आयुक्तों/प्रतिनिधियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

SBM योजना -

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी शहरी निकायों को दिनांक–15.08.2019 तक Open Defecation Free (ODF) करने हेतु समय निर्धारित है। निर्देशित किया गया कि सभी नगर निगम बचे हुए व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य पूर्ण करें ताकि राज्य स्तर पर ODF की घोषणा हो सके।
- विशेष रूप से पटना, आरा भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर नगर निगमों को एक सप्ताह के अंदर विशेष टीम गठित कर युद्ध स्तर पर निर्मित शौचालयों को GEO Tag एवं द्वितीय किस्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण अविलंब कराने का निदेश दिया गया। स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में निर्धारित समयसीमा तक शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराना है।
- सभी नगर आयुक्तों को निदेश दिया गया कि जिन भूमिहीन परिवारों को वर्तमान में सामुदायिक शौचालय की सुविधा से नहीं जोड़ा गया है, वैसे सभी परिवारों को उपलब्ध सामुदायिक शौचालय से टैग करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करें। एक सामुदायिक शौचालय के 01 सीट पर पाँच परिवारों तक को टैग किया जा सकता है। इससे संबंधित Report Format सभी नगर निगमों को उपलब्ध करवाया जा चुका है। परन्तु इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को 01 सीट उपलब्ध कराना है, जैसे–जैसे सामुदायिक शौचालय का निर्माण या Mobile Toilet की उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी, वैसे–वैसे सभी टैग परिवारों को एक–एक सीट उपलब्ध करवा दिया जाए।
- अपर आयुक्त, नगर निगम पटना को निदेश दिया गया कि 5,400 CT के लक्ष्य के विरुद्ध अपना विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन एवं उपलब्ध सामुदायिक शौचालयों से परिवारों को टैग करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँ तथा सभी निविदा को जल्द से जल्द निष्पादित करते हुए CT के लक्ष्य को पूर्ण करवाएँ।

  (अनुपालन :– पटना नगर निगम)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत सभी नगर निगमों को निदेश दिया गया कि वे इस माह के अंत तक कम से कम 05 वार्डों में Segregation at Source तथा composting का कार्य पूर्ण करायेंगे एवं प्रत्येक माह अन्य वार्डों को भी लक्षित करेंगे।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निमयावली, 2016 के अनुसार सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों द्वारा माह के अंत तक कार्य संपन्न करा लेने पर सहमति व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि विभाग स्तर से संबंधित नोडल पदाधिकारी अगस्त माह के अंत में क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की निगरानी करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को इससे अवगत कराएँगे।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को नगर निगमों में सुचारू रूप से सुदृढ़ करने हेतु मॉडल शहर के रूप में चयनित निकायों यथा राजगीर नगर पंचायत, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर नगर निगमों द्वारा किए गए कार्यों का अन्य नगर निगमों द्वारा Exposure Visit कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- C&D Waste Management के लिए सभी नगर निगमों को निर्देश दिया गया कि इस हेतु बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा तैयार किया गए Model RFP के अनुसार एजेंसी चयन के लिए RFP प्रकाशित करें एवं C&D Waste Management का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- नगर निगमों में कचरा संग्रहण में लगे वाहनों में विभाग द्वारा बनाए गए प्रतीकात्मक गीत का प्रसारण लाऊडस्पीकर के माध्यम से प्रतिदिन कराएँ। इसके लिए नगर निगमों द्वारा सभी वाहनों में छोटे लाऊडस्पीकर एक सप्ताह के अंदर लगाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु गंगा शहरों यथा बेगूसराय, छपरा, मुंगेर एवं भागलपुर नगर निगमों को राशि हस्तांतरित कर दिया गया है। निदेशित किया गया कि DPRs के अनुसार कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराएं एवं इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को दिनांक–30.08.2019 तक अनिवार्य रूप से भेजें ताकि भारत सरकार से द्वितीय किस्त की राशि की माँग की जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत विभाग द्वारा Demand सर्वे कराकर Housing For All Plan of Action (HFAPoA) एवं Annual Implementation Plan (AIP) तैयार किया जा रहा है। इस कार्य हेतु सभी नगर निकायों में परामर्शी संस्था की सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। योजना के 3 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, गया, कटिहार, मुगेंर एवं पटना नगर निगमों द्वारा HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पास कराकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया की परामर्शी संस्था से समन्वय स्थापित करके HFAPoA एवं AIP अगस्त माह के अंत तक विभाग को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के BLC घटक में अब तक नगर निगमों में 35329 आवासीय इकाई स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें 12858 लाभुकों को ही कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं 9082 लाभुको को ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, जो अत्यंत चिंताजनक है। इस सम्बन्ध में कार्य की प्रगति हेतु पूर्व में भी कई बार पत्र निर्गत किया जा चुका है, साथ ही परियोजनावार स्वीकृत लाभुको का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS Entry, DPR से संबद्ध करके कार्यादेश निर्गत करने एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किये जाने का निदेश दिया जा चुका है। उपर्युक्त संदर्भ में पुनः निदेश दिया गया कि सभी नगर निगमों द्वारा अभियान चलाकर परियोजनावार स्वीकृत परियोजनाओं में शत–प्रतिशत लाभुकों का Mis Entry एवं DPR से संबद्ध करके कार्यादेश निर्गत किया जाए एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किया जाए।

  राज्य के सभी नगर निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में अंचल कार्यालय द्वारा रूचि नहीं लिए जाने की वजह से योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया की जिला पदाधिकारी को पत्र देकर सभी नगर निकायों में राजस्व कर्मी एवं अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर, कैंप का आयोजन कराकर, लाभुकों को जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए।

  यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाए। इस संदर्भ में पूर्व में भी कई बार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के BLC घटक में राज्य अंतर्गत स्वीकृत कुल 252703 आवासीय इकाइयों के विरूद्व 106175 लाभुकों को ही कार्यादेश निर्गत किया है तथा केवल 73998 लाभुकों को ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है जो की अन्यंत चिंताजनक है। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रगति की बैठक में समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों में मेगा शिविर का आयोजन किया जाए एवं शत–प्रतिशत लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जाए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किया जाए। इस संबंध में सभी नगर निकायों को पत्र के माध्यम से सूचित करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराए गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि नगर निगमों द्वारा मांग के अनुरूप BLC घटक के शत–प्रतिशत लाभुकों का प्रस्ताव अगस्त माह तक विभाग को भेज दिया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के दो घटक Affordable Housing in Partnership (AHP) एवं In Situ Slum Redevelopment (ISSR) के क्रियान्वयन हेतु किफायती आवास मलीन बस्ती (स्लम) पुर्नवास एवं पुनर्विकास नीति 2017 अधिसूचित की गयी है। योजना के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं करायी गयी है। इस संर्दभ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। नीति अर्न्तगत जिला स्तर पर District Level Planning & Monitoring Committee (DLPMC) गठित है, परन्तु अब तक DLPMC की एक भी बैठक नहीं कराई गयी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपी सभी नगर निकायों को दी गई है, जिसके तहत चयनित लाभुकों को आवासित करने हेतु नगर निकायों द्वारा भू–अर्जन हेतु जमीन चिन्हित करके भागीदारी में किफायती आवास एवं मलीन बस्ती अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तर पर गठित District Level Planning & Monitoring Committee (DLPMC) से प्रस्ताव पास कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश है। वर्णित दोनो घटकों के प्रवधान के अनुसार शहरी क्षेत्रों को मलीन बस्तियों एवं सरकारी भूमि पर आवासित पात्र परिवारों को, यदि उसी भूमि पर बहुमंजिली आवास बनाकर आवासित करना संभव (Tenable) हो, तो उसी स्थान पर तथा यदि उसी स्थान पर बहुमंजिली भवन बनाना संभव नही (Untenable) हो, तो उसके लिए शहरी क्षेत्रों या उसके आस–पास के क्षेत्रों में भूमि चिहिन्त करके, वहाँ बहुमंजिली भवन बनाकर वैसे लाभुकों को आवासित किया जाना है। पुनः सभी नगर निगमों को निर्देश दिया गया कि जमीन अधिग्रहण करने हेतु DLMPC से पास कराकर विहित प्रपत्र में विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) घटक में राज्य की स्थिति अन्य राज्य की तुलना में काफी खराब है। योजना के चार साल बीत जाने के बाद भी अबतक विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा केवल 5002 लाभुकों को ही इस घटक के तहत लाभ दिया गया है, जो कि अत्यंत ही चिंताजनक है। इस संदर्भ में सभी नगर निगमों को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर बैठक कराकर District Level Bankers Committee के Agenda में इस घटक को शामिल किया जाए एवं इसकी समीक्षा करायी जाए।

AMRUT योजना –

- निदेश दिया गया कि Pipeline Network का कार्य कराने के पश्चात तुरंत ही गृह जल संयोजन (House Service Connection-HSC) भी सम्पन्न कराया जाना है। साथ ही यह भी निदेश दिया

गया कि Pipeline Network का कार्य कराने के पश्चात नियमानुकूल विशिष्टियों के अनुरूप Road-restoration का कार्य भी कराया जाय।

- पूर्व में बुडको को निदेशित किया गया है कि गृह जल संयोजन (HSC) का कार्य पूर्ण कर Ward wise एवं Road wise Computerised List नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। यह निदेश दिया गया कि सभी घरों में गृह जल संयोजन (HSC) दिये जाने के संबंध में नगर आयुक्त अपने स्तर से भी जाँच कर बुडको को सूचित करेंगे।
- **PDMC-AMRUT द्वारा बताया गया कि बैठक में उपस्थित 12 में से मात्र 3 नगर निगमों यथा पूर्णिया, बेगुसराय एवं आरा में स्थल हेतु NOC की समस्या है** :–
  (A) पूर्णिया के नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि अब स्थल संबंधी कोई समस्या नहीं है एवं सभी NOC प्राप्त हैं।

  (B) बेगुसराय में 1 स्थल B.P. School का NOC प्राप्त है किन्तु B.P. School द्वारा आपत्ति की जा रही है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि स्थल संबंधी समस्या नहीं है। निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, नगर आयुक्त के साथ स्थल का भ्रमण कर समस्या का निराकरण कराएँ।

  (C) आरा–I में एक स्थल वार्ड संख्या–37 में NOC अप्राप्त है एवं नगर निगम स्तर पर लंबित है। आरा–II में दो स्थल यथा भलुहीपुर (वार्ड संख्या–31) में NOC प्राप्त है परंतु दो स्थलों पर स्थानीय नागरिकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इब्राहिमनगर (वार्ड–35) में स्थल के NOC हेतु प्रस्ताव CO के स्तर पर लंबित है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण करा लिया जाएगा।
- Escalator सहित Foot Overbridge एवं Automated Multi Level Parking के लिए स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में 12 में से मात्र 3 नगर निगमों यथा भागलपुर, मुंगेर एवं बिहारशरीफ से ही प्रस्ताव प्राप्त हैं। निदेश दिया गया कि शेष अन्य नगर निगमों के द्वारा भी इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव विभाग को भेजे जाएँ।

NULM योजना :–

SM&ID घटकः–

- सभी नगर निगम को COs एवं CRPs का जल्द–से–जल्द चयन कर लेने हेतु निदेश दिया गया।
- सभी नगर निगम को SHG एवं ALO को चक्रचालित राशि के वितरण करने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निगम को CRPs का मानदेय हर माह भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया।

SUSV घटकः–

- सभी नगर निगम को City Vending Plan एवं Vending Zone के निर्माण हेतु विभागीय दिशा–निर्देश के अनुसार तत्काल विभाग को प्रास्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया।

SUH घटकः–

- सभी नगर निगम को आश्रय स्थल के संचालन में लगे ALO को समय से भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।
- नगर निगम, छपरा, दरभंगा एवं कटिहार नगर निगम को तत्काल आश्रय स्थल का प्रचालन एवं संचालन का निदेश दिया गया।

- नगर निगम बेगुसराय के नगर आयुक्त को तत्काल आश्रय स्थल का निर्माण चालू करने का निदेश दिया गया।
- नगर आयुक्त बिहारशरीफ को आश्रय से तत्काल अतिक्रमण हटाये जाने का निदेश दिया गया।

EST&P घटकः–

- सभी नगर निगम को SDCs का भुगतान समयनुसार करने हेतु निदेश दिया गया।
- भागलपुर नगर निगम को दिये गये नये SDC के साथ तुरन्त MoU कर बैच चालू करने का निदेश दिया गया।

नाली–गली निश्चय योजना :–

- सभी नगर आयुक्तों को बताया गया कि कच्ची नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना को वर्ष 2019–20 में पूर्ण करने हेतु तीन प्रपत्रों यथा 'A', 'C' एवं 'E' को नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। इसमें प्रस्तावित योजनाओं को प्रपत्र 'C' में भेजा जाना है, जिसमें केवल कच्ची नाली–गलियों को ही समाविष्ट किया जाय। इस पर खेद व्यक्त किया कि केवल बिहारशरीफ नगर निगम के द्वारा अबतक प्रपत्रों को भरकर उपलब्ध कराया गया है। उन्हें P.C.C सड़कों के निर्माण के समय Utility Services हेतु Ducts की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निदेश दिया। कच्ची नाली–गली पक्कीकरण की योजनाओं को पूर्ण करने के क्रम में ज्यादा से ज्यादा वार्ड को संतृप्त करवाने पर बल दिया गया। इसके लिए उन वार्डों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ कम योजनाओं को पूर्ण करवाने से ही वार्ड संतृप्त हो जायेगा।
- निदेशित किया गया कि 10 फीट अथवा उससे कम चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु Paver Blocks का ही प्रयोग किया जाय, जिसका Model Estimate विभाग द्वारा सभी नगर निकायों को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- निर्देश दिया गया कि नाली निर्माण के लिए Level Equipment का उपयोग किया जाय ताकि Consistent gravity flow के लिए Invert Level सही ढंग से भूतल पर निर्धारित किया जा सके।

नल–जल निश्चय योजना :–

- नगर निगम क्षेत्र में हर घर नल जल योजना से पूर्णतः आच्छादित वार्डों की विवरणी अविलंबत विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

14/8/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–4277.....न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 14/08/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2019

प्रधान सचिव